



# RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

SBU & PC-Gypsum,

Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.

Phone: 0151-2200171-75. Fax: 0151-2523519/ 2202842

Web Site: www.rsmm.com

क.: आर.एस.एम.एम./जिप/प्रशा/10(14)/2018-51

दिनांक: 13.04.2018

.....  
.....  
.....  
.....

विषय - आर.एस.एम.एम.एल. एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम के 2, गाँधी नगर योजना, बीकानेर स्थित कार्यालय भवन में बिजली से संबंधित कार्य ठेके पर करने हेतु ।

श्रीमान्,

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम के 02, गाँधी नगर योजना, बीकानेर स्थित कार्यालय भवन में डी.जी. सेट (जनरेटर) का रखरखाव करने, बिजली से संबंधित कार्य जैसे - बिजली के पोइंट्स, लाइनों की खराबी को सही करना, पानी के पम्पों के रख-रखाव करने एवं अन्य छोटे-मोटे बिजली से संबंधित कार्य ठेके पर करने हेतु दो (2) वर्ष की समय अवधि के लिये प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं ।

**अनुबंध की नियम एवं शर्तें:-**

**1.0 प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पात्रता :-**

- 1.1) प्रस्तावक / ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले व्यक्ति मान्यता प्राप्त संस्थान से आई.टी.आई. इलैक्ट्रिकल योग्यता/प्रमाण-पत्र धारक होना आवश्यक है ।
- 2.0 कार्य क्षेत्र एवं कार्य का विवरण
- 2.1) डी.जी. सेट (जनरेटर) का रखरखाव करने एवं उसके पैनल बोर्ड का रख-रखाव, इत्यादि कार्य ।
- 2.2) पानी के पंप सेट का रख-रखाव करना ।
- 2.3) बिजली के विभिन्न प्रकार के स्विच बोर्डों का रख-रखाव करना एवं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सही करना एवं बदलना इत्यादि ।
- 2.4) बिजली के पंखों, लाइट्स, ट्यूबलाइट्स, बिजली के बोर्ड इत्यादि बदलना एवं नये लगाना ।
- 2.5) बिजली की लाइनों की मरम्मत करना / खराबी दूर करना ।
- 2.6) बिजली के पैनल बोर्ड का रख-रखाव एवं आवश्यकता होने पर दूरस्त करना इत्यादि ।
- 2.7) सभी ए.सी. फिल्टर्स की निरन्तर (साप्ताहिक) साफ-सफाई करना एवं वापस लगाना ।
- 2.8) बिजली सुरक्षा संबंधित सुझाव समय-समय पर देना ।

इच्छुक प्रस्तावक/ठेकेदार द्वारा कार्यालय स्थान का निरीक्षण कार्य की दर भरने से पूर्व तक किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान कार्य से संबंधित स्पष्टिकरण उपप्रबन्धक(कॉ.एवं.प्रशा.)/ कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा दिया जायेगा। कार्य से संबंधित किसी भी तरह के विवाद पर बाद में विचार नहीं किया जायेगा। प्रस्तावक प्रस्ताव प्रपत्र भरने से पूर्व स्वयं को पूर्णरूप से आश्वस्त कर लें, ताकि अनुबंध के दौरान कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। प्रस्ताव प्रपत्र खोलने के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति/संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ठेकेदारा द्वारा कार्य हेतु व्यक्ति प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 9:30 बजे से सांय 6:00 बजे तक उपलब्ध करवाना होगा एवं अवकाश के दिन आवश्यकता होने पर व्यक्ति उपलब्ध करवाना होगा।

काम में आने वाले आवश्यक औजार (प्लास, पेचकस, टेस्टर इत्यादि) ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाने होंगे। स्विच बोर्ड, तार, प्लेट, ट्यूब लाईट इत्यादि बदले जाने वाले सामानों की व्यवस्था कम्पनी द्वारा की जायेगी ।

कार्य के दौरान आवश्यक सुरक्षा संबंधी उपकरण/सामान की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को ही करनी होगी । कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर कम्पनी जिम्मेदार नहीं होगी । ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले व्यक्ति का बीमा ठेकेदार स्वयं अपने खर्च पर करवायेगा ।



# RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

SBU & PC-Gypsum,

Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.

Phone: 0151-2200171-75. Fax: 0151-2523519/ 2202842

Web Site: www.rsmm.com

### 3. धरोहर राशि (Earnest Money)

- 3.1 प्रस्ताव प्रपत्र जमा कराने के साथ राशि रु. 7200/- (अखरे रु. सात हजार दो सौ मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर धरोहर राशि के रूप में संलग्न करना होगा, जो कि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, बीकानेर के नाम से देय हो बिना धरोहर राशि के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये जाएंगे।
- 3.2 सफल प्रस्तावक की धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित कर दिया जाएगा।
- 3.3 धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

### 4.0 प्रतिभूति राशि (Security Deposit)

- 4.1 प्रतिभूति राशि, कुल अनुबन्धित राशि (Total contract value) की 10 प्रतिशत होगी। सफल प्रस्तावक को 50 प्रतिशत प्रतिभूति राशि एल.ओ.ए. जारी होने के 15 दिवस के अन्दर जमा करवानी आवश्यक होगी, जिसमें जमा धरोहर राशि (Earnest money) रुपये 7200/- (अखरे रु. सात हजार दो सौ मात्र) को समायोजित किया जायेगा, एवं शेष 50 प्रतिशत प्रतिभूति राशि का भुगतान सफल प्रस्तावक के प्रतिमाह के बिलों में से शेष बची 50 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के 10 प्रतिशत की दर से काट कर किया जायेगा।
- 4.2 अगर ठेकेदार कार्य करने में असफल रहता है तो कम्पनी अपने निर्णय से प्रतिभूति राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर सकेगी।
- 4.3 कम्पनी को पूर्ण अधिकार होगा कि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर अथवा किसी प्रकार की हानि अथवा अनियमितता होने पर प्रतिभूति राशि में से होने वाले नुकसान की भरपायी रकम काट कर की जा सकेगी। ऐसी कटौती के परिणाम स्वरूप प्रतिभूति राशि में कोई कमी होती है तो उसकी पूर्ति ठेकेदार के मासिक बिलों में से की जा सकेगी।
- 4.4 प्रतिभूति राशि का भुगतान अनुबंध के समाप्त होने के सामान्यतः छः (06) माह के पश्चात कर दिया जाएगा। ठेकेदार को सभी प्रकार की कटौतियाँ, श्रमिकों का वेतन इत्यादि का भुगतान कर दिया है का प्रमाण पत्र, एवं नो ड्यूज और नो क्लेम का स्टाम्प पेपर पर प्रमाण पत्र (No dues and no claim certificate) भी देना आवश्यक है।
- 4.5 प्रतिभूति राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

### नियम व शर्तें—

- 5.1 ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले व्यक्ति आई.टी.आई. ईलैक्ट्रिकल योग्यता / प्रमाण-पत्र धारक होना आवश्यक है एवं प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक है।
- 5.2 यदि राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई भी टैक्स अनुबंध अवधि के दौरान लगाया व बढ़ाया जाता है तो ऐसे समस्त टैक्सों का भुगतान ठेकेदार को स्वयं करना होगा। व ऐसे भुगतानों के लिए कम्पनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 5.3 ठेकेदार के अधीन कार्यरत व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र से अधिक होना आवश्यक है।
- 5.4 ठेकेदार के अधीनस्थ कार्यरत व्यक्तियों को किसी दुर्घटना अथवा चोट आदि का मुआवजा अथवा अन्य किसी प्रकार का दावा व भुगतान ठेकेदार को स्वयं करना होगा और विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 5.5 ठेकेदार के अधीनस्थ कार्यरत व्यक्तियों का व्यवहार विभागीय कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण होना आवश्यक है।
- 5.6 ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गए व्यक्ति के वेतन, भत्ते अथवा अन्य भुगतान ठेकेदार को करने होंगे तथा किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए यह विभाग जिम्मेदार नहीं है।
- 5.7 ठेकेदार के अधीन कार्यरत व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी ठेकेदार स्वयं रखेंगे एवं सुरक्षा कारणों से विभाग द्वारा मांगने पर उपलब्ध कराएंगे।
- 5.8 समूह महा प्रबन्धक ( जिप्सम ) आर.एस.एम.एम.एल., को किसी भी प्रस्ताव या सभी प्रस्तावों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 5.9 समूह महा प्रबन्धक ( जिप्सम ) आर.एस.एम.एम.एल., किसी भी दर के प्रस्ताव को स्वीकार करने को बाध्य नहीं होंगे।



# RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

SBU & PC-Gypsum,

Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.

Phone: 0151-2200171-75, Fax: 0151-2523519/ 2202842

Web Site: www.rsmm.com

- 5.10 ठेकेदार के और विभाग दोनों के बीच में उठे किसी भी मतभेद की स्थिति में समूह महा प्रबन्धक (जिम्सम), आर.एस.एम.एम.एल., बीकानेर का निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों के लिए बाध्य होगा।
- 5.11 इस अनुबंध से संबंधित किसी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र बीकानेर न्यायालय ही रहेगा।
- 5.12 ठेकेदार प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि से निर्णय की अवधि में अपने प्रस्ताव वापस लेता है अथवा शर्त तथा स्थिति में परिवर्तन करता है, तो कंपनी को अधिकार होगा कि धरोहर राशि पूर्ण रूप से जब्त कर ले।
- 5.13 कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में 15( पन्द्रह ) दिवस के अग्रिम नोटिस पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
- 5.14 आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्रोत पर कटौती की जावेगी एवं ठेकेदार को अपना पेन नंबर लेखा विभाग में देना होगा।
- 5.15 समय समयपर राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा ठेके के अधीन कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में जारी दिशा/निर्देश/नियमों, उपनियमों एवं नियमों में संशोधन की पालना ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
- 5.16 ठेकेदार द्वारा किसी दिन कार्य ना करने की स्थिति में प्रतिदिन 1000/- रुपये पेनल्टी ठेकेदार से वसूल की जायेगी।
- 6.0 वस्तु एवं सेवाकर (GST) से सम्बंधित नियम एवं शर्तें—
  - 6.1 यदि उक्त ठेके कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का कर वस्तु एवं सेवाकर (GST) इत्यादि जमा करवाने का दायित्व बनता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। वस्तु एवं सेवाकर(GST) का भुगतान वस्तु एवं सेवाकर(GST) जमा चालान प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।
  - 6.2 प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दर वस्तु एवं सेवाकर (GST) रहित एवं अनुबंध पर लागू अन्य सभी करों सहित (निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक) होगी।
  - 6.3 प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दर अनुबंध अवधि में स्थिर रहेगी एवं अनुबंध अवधि में प्रस्तुत दर में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी।
  - 6.4 वस्तु एवं सेवाकर (GST) को समय पर जमा करवाने एवं समय पर रिटर्न भरने की जिम्मेदारी ठेकेदार स्वयं की होगी। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अगले महीने में RSMML के लिए GST पर आवश्यक क्रेडिट उपलब्ध हो परन्तु यदि क्रेडिट उपलब्ध नहीं होता तो कंपनी द्वारा इस राशि का भुगतान ठेकेदार के बिल या प्रतिभूति राशि में से कटौती(Deduct)/ वसूल(Recover)//रोक कर (Retain) किया जायेगा।
  - 6.5 इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के भुगतान नहीं होने की स्थिति में, या GST के भुगतान एवं रिटर्न फाईल से सम्बंधित पेनल्टी भी कंपनी द्वारा ठेकेदार के बिल या प्रतिभूति राशि में से कटौती(Deduct)/ वसुली(Recover)/रोक कर(Retain) की जायेगी।
  - 6.6 ठेकेदार को मासिक बिलों के साथ सम्बंधित कर अवधि में GST जमा करवाने एवं रिटर्न फाईल करने के संदर्भ में परिवचन(Undertaking) प्रस्तुत करना होगा। मासिक बिलों में GSTIN एवं HSN/SAC Code दर्शाना होगा।
  - 6.7 इसके अलावा प्रस्तावक को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय यह परिवचन(Undertaking) भी प्रस्तुत करना होगा कि आज दिनांक तक (निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक) GST के भुगतान एवं उसके रिटर्न फाईल की जा चुकी है एवं इस बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद लंबित नहीं है, ना ही कोई चुक हुई है।
- 7.0 सामान्य शर्तें—
  - 7.1 ठेकेदार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित कर्मचारियों के कृत्यों (Acts & deeds) के लिए उत्तरदायी होगा।



# RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

SBU & PC-Gypsum,

Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.

Phone: 0151-2200171-75, Fax: 0151-2523519/ 2202842

Web Site: www.rsmm.com

- 7.2 असंतोषजनक कार्य व व्यवहार की शिकायत की जांच के बाद वे यदि सही पाई गई तो प्रतिभूति राशि (Security Deposit) जब्त की जा सकती है अथवा/तथा आगामी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है।
  - 7.3 ठेकेदार अपने कार्य निष्पादन से संबंधित सभी वैधानिक नियम व उपनियमों की पालना करेगा। सभी नियम व उपनियम जो कि वर्तमान में लागू हैं एवं भविष्य में लागू किये जाएंगे, की भी अनुपालना करेगा।
  - 7.4 ठेकेदार अपने कार्य निष्पादन से संबंधित सभी दायित्वों, देनदारियों जो कि नियोजित व्यक्ति/व्यक्तियों को किसी भी नियम एवं उपनियम के तहत देय होगी, से कम्पनी को मुक्त रखेगा।
  - 7.5 ठेकेदार कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, बोनस एक्ट 1966, ग्रेच्युटी एक्ट 1971, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, भारतीय रेट अधिनियम 1947, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948, कान्ट्रैक्टर लेबर रेग्यूलेशन तथा अबोलेशन एक्ट, 1970, एम्प्लोयस लायविलीटी एक्ट, 1938 इण्डरटीयल डिस्प्यूट एक्ट, 1947 एवं इन समस्त अधिनियमों के अन्तर्गत दिए गए उपबंधों नियमों, उपनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। इन समस्त नियमों, उपनियमों में समय समय पर किए गए संशोधनों का निवर्हन नहीं किए जाने पर उसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे।
  - 7.6 ठेकेदार उपलब्ध करवाये जाने वाले से संबंधित कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1855 के अन्तर्गत दिए गए नियमों, उपनियमों समय समय पर किए गए संशोधनों का निवर्हन नहीं किए जाने पर उसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे।
  - 7.7 पी.एफ. में रजिस्टर्ड प्रस्तावकों को ही निविदा में भाग लेने हेतु योग्य माना जायेगा।
  - 7.8 अनुबंध लागू होने की स्थिति में ठेकेदार को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948, और उनके अंतर्गत बनी हुई योजनाएं/नियमों और ठेकेदारों द्वारा नियोजित कामगारों पर लागू होने वाले सभी नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत अपना अंशदान जमा कराने का दायित्व होगा।
  - 7.9 ठेकेदारा द्वारा प्रत्येक माह का बिल आगामी माह के प्रथम सप्ताह में दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा एवं भुगतान आ.टी.जी.एस./एन. आइ.एफ.टी. के माध्यम से किया जाएगा।
- 8.0 प्रस्ताव प्रपत्र जमा करवाने के संबंध में निर्देश:-**
- 8.1 प्रस्तावक प्रस्ताव प्रपत्र भरने से पूर्व स्वयं को पूर्ण रूप से आश्वस्त करलें। प्रस्ताव प्रपत्र खोलने के बाद किसी प्रकार की अनभिज्ञता एवं आपत्ति/संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  - 8.2 प्रस्तावक को प्रस्ताव प्रपत्र की शर्तों की स्वीकृति हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर अपने पद के साथ दिनांक लगाकर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
  - 8.3 अपूर्ण, अस्पष्ट, अपाठ्य तथा शर्तों के साथ भरे गए प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होंगे।
  - 8.4 प्रस्ताव दो भागों में भरने होंगे।
    - (i) प्रथम भाग - इस भाग में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक हैं।
      - (अ) प्रस्तावक का नाम, पता, टेलीफोन नं. इत्यादि की जानकारी प्रारूप परिशिष्ट 1 में संलग्न करना आवश्यक है।
      - (ब) प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले व्यक्तिकी योग्यता संबंधित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।
      - (स) प्रस्तावक अपने स्वयं के बारे में इस आशय का एक शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करेगा कि केन्द्रीय/राज्य सरकार और किसी भी सरकारी या निजी उपक्रम के साथ इसके द्वारा निष्पादित किये गये कार्य के बारे में कोई विवाद लम्बित नहीं है।
    - वांछित धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट
    - पूर्ण रूप से भरा प्रस्ताव प्रपत्र (प्रस्तावक के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने पद के साथ दिनांक लगाकर हस्ताक्षर मय मोहर)
    - अपूर्णरूप से भरे गये प्रथम भाग या अपठनिय होने के स्थिति में प्रवन्धन प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर सकते हैं।



# RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

SBU & PC-Gypsum,

Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.


Phone: 0151-2200171-75, Fax: 0151-2523519/2202842

Web Site: www.rsmm.com

(ii) द्वितीय भाग –

- कार्य की दरें परिशिष्ट 2 में भरनी हैं जो कि अलग लिफाफे में बंद कर प्रस्तुत करनी होगी। प्रस्तावक अपने प्रस्ताव के दोनों भागों को अलग-अलग लिफाफे में सील बंद करके प्रस्तुत करेगा दोनों लिफाफों पर स्पष्ट रूप से भाग का नाम (प्रथम एवं द्वितीय) लिखकर दोनों को एक अन्य लिफाफे में बंद कर दिनांक 09.05.2018 को प्रातः 11.00 बजे तक बीकानेर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। दिनांक 09.05.2018 को प्रातः 11.30 बजे प्राप्त प्रस्तावों के प्रथम भाग को प्रस्तावकों या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जाएगा। इसमें सफल प्रस्तावकों को सूचीबद्ध किया जाएगा एवं ऐसी सूचीबद्ध प्रस्तावकों का ही द्वितीय भाग (कार्य की दरों से संबंधित) खोला जाएगा।
- प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के परिशिष्ट-2 में दर सभी करों सहित परन्तु GST रहित भरनी होगी।

सफल प्रस्तावक को कम्पनी के साथ, प्रस्ताव LOA जारी करने के तीस (30) दिन के भीतर इंडियन स्टाम्प एक्ट के तहत, उचित मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक इकरारनामा सम्पन्न करना होगा। नान ज्यूडिशियल स्टैम्प एवं इकरारनामा का समस्त व्यय ठेकेदार को वहन करना होगा।

  
प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम)



# RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

SBU & PC-Gypsum,

Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.

Phone: 0151-2200171-75. Fax: 0151-2523519/ 2202842

Web Site: www.rsmm.com

आर.एस.एम.एम./जिप/प्रशा/10(14)/2018-51

दिनांक : 13.04.2018

परिशिष्ट-1

प्रथम भाग

## तकनीकी एवं वाणिज्यिक

प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना चाहिए।

क्र.सं.	विवरण	निविदाकर्ता स्वयं भरे
1.	वांछित धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं. व राशि	डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे आर्डर सं..... राशि..... दिनांक.....
2.	प्रस्तावक का नाम, वर्तमान व स्थाई पता एवं टेलीफोन नं./मोबाईल नं /फैक्स नं./ ई मेल।	नाम..... पता..... टेलीफोन नं..... मोबाईलन..... फैक्स नं..... ई मेल.....
3.	फर्म की स्थिति में फर्म का नाम पंजीयन संख्या एवं यदि साझेदारी है तो, डीड की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।	
4.	क्या वर्तमान में आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं, यदि हां तो पूर्ण विवरण दें।	
5.	प्रस्तावकद्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले व्यक्ति की योग्यता संबंधित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।	
6.	क्या प्रस्तावकद्वारा /फर्म का आयकर कार्यालय द्वारा जारी (Assessment) नवीनतम प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न की गई है ?	
7.	क्या निविदादाता ने अपने स्वयं के बारे में इस आशय का एक शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत किया है कि केन्द्रीय /राज्य सरकार और किसी भी सरकारी या निजी उपक्रम में उसके द्वारा किये गये कार्य के बारे में उसका कोई विवाद लम्बित नहीं है ?	
8.	प्रस्तावक का पी एफ रजिस्ट्रेशन नं एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।	पी. एफ. रजिस्ट्रेशन नं .....
9.	Clause No. 6.7 के अनुसार वस्तु एवं सेवाकर(GST) के भुगतान एवं रिटर्न फाईल के संदर्भ में परिवचन(Undertaking) संलग्न है।	

हस्ताक्षर प्रस्तावक मय मोहर



# RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

SBU & PC-Gypsum,

Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.

Phone: 0151-2200171-75, Fax: 0151-2523519/ 2202842

Web Site: www.rsmm.com

आर.एस.एम.एम. / जिप / प्रशा / 10(14) / 2018-51

दिनांक 13.04.2018

परिशिष्ट-2

## द्वितीय भाग

### कार्य की दरें (Rate Part)

प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना होगा :-

कार्य	दर शब्दों में (रु.) ( वस्तु एवं सेवाकर (GST)के अतिरिक्त एवं सभी करोंसहित)	दर अंको में(रु.)(वस्तु एवं सेवाकर (GST) के अतिरिक्त एवं सभी करों सहित)
राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम के 02, गांधी नगर योजना, बीकानेर स्थित कार्यालय भवन में डी.जी. सेट (जनरेटर) का रखरखाव करने, बिजली से संबंधित कार्य जैसे - बिजली के पोईंट्स, लाईनों की खराबी को सही करना, पानी के पंपों के रख-रखाव करने एवं अन्य छोटे-मोटे बिजली से संबंधित कार्य ठेके पर करने हेतु ।		

Note-1. दरें शब्दों एवं अंको (Words & Figures) में स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। दरों में किसी तरह का अन्तर होने पर न्यूनतम दर को ही प्रस्तावित दर माना जायेगा ।

2. उपरोक्त प्रस्तावित दर वस्तु एवं सेवाकर (GST) के अतिरिक्त एवं अन्य सभी करों सहित देय होगी एवं वस्तु एवं सेवाकर (GST) का भुगतान वस्तु एवं सेवाकर (GST) जमा करवाने का चालान प्रस्तुत करने पर किया जाएगा ।

प्रस्तावक के हस्ताक्षर.....

प्रस्तावक / फर्म का नाम व पता .....

.....

.....

.....

प्रस्तावक का टेलीफोन/मोबाईलनं .....

.....

.....

दिनांक.....